न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी– हरि मोहन मीना, I.A.S.

अपील संख्या–22/2021 (सू0 का अधि0)

श्री सुरेन्द्र जैन, सामाजिक /आरटीआई कार्यकर्ता पूरबियों की गली, बिस्तियों का बास, जोधपुर राज0

–अपीलार्थीया

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा

–प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 14/02/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री सुरेन्द्र जैन, सामाजिक /आरटीआई कार्यकर्ता पूरबियों की गली, बिस्तियों का बास, जोधपुर राज0 ने दिनांक 16.10.2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहाँ एक प्रार्थना पत्र पेश कर निम्न सूचना चाही गयी है –

1. यह कि राजस्थान मूल निवास प्रमाण–पत्र कोटथ शहर में 2016–17 से लगाकर आज दिनांक 15.10.2021 तक प्रत्येक वर्ष कितने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाये गये, उसकी संख्या से अवगत करवाया जाएं । सूचना जिस रूप में संधारित है उसमें उपलब्ध करवाई जाऐं ।
2. यह कि कोआ में राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र जो 2016–17 से बनाये जा रहे है उसमें कितने साल रहने वाले के बनाये जा रहे है इस संबंध में राज्य सरकार या अन्य किसी विभाग से कोई आदेश / परिपत्र प्राप्त हुआ हो तो उसकी सत्यापित प्रतिलिपि दिलवाई जाऐं ।
3. यह कि राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र 2016–17 से बनाये जा रहे है उसमें जो विद्वार्थी यहां पढने आते है उनके मूल निवास प्रमाण पत्र जो बनाये गये या जा रहे है जो कि 3 साल या 5 साल रहने वाले के बनाये जाते है व किस आदेश या नियम /परिपत्र के तहत मूल निवास प्रमाण पत्र बनाये जा रहे है उस सम्बन्ध में जो भी बनाये गये है या बनाये जा रहे है उनके नियमों या जो भी आदेश के तहत बनाये जा रहे है उन सभी आदेशों व परिपत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि दिलवाई जाऐं ।
4. यह कि उपरोक्त बिन्दु सं0 3 के तहत जो भी राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिये जो आवेदन पत्र है उसकी सत्यापित प्रतिलिपि दिलवाई जाऐं ।

जिला कलक्टर
कोटा

5. यह कि राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिये जो भी फार्म या ऑनलाईन बनाये जा रहे है उन फार्म की सत्यापित प्रतिलिपि दिलवाई जाऐं ।
6. यह कि कोटा शहर में राजस्थान के बाहर से विभिन्न शहरों से पढने के लिये छात्र आते है उनको राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट 3 साल से 5 साल रहने पर स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बना दिया जाता है उसके व सभी नियम आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि दिलवाई जाऐं जिसके तहत उनको यह राहत प्रदान की हुई है । उन सभी आदेशों की सत्यापित प्रतिलिपि दिलवाई जाऐं ।
7. यह कि राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिये राजस्थान सरकार से जारी किये गये समय समय पर जारी आदेश / परिपत्र जो कि मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवश्यक है उन सभी फार्म जिससे स्थानीय राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनाया जाता है उन सभी के लिये जो भी नियम / परिपत्र आदेशों की सत्यापित प्रतिलिपि जो कि वर्ष 2015–16 से लगाकर आज दिनांक तक सूचना दिलवाई जाऐं ।

उपरोक्त सूचना समय पर नहीं मिलने के कारण प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 22.12.2021 को दर्ज रजिस्टर की गई । अप्रार्थी को भी सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है । लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा पत्रांक/ सूचना/ (प–188) /21/2022/56 दिनांक 25.01.2022 से टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक द्वारा आवेदन में वर्णित बिन्दु की सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा से होने के कारण उक्त आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के तहत पत्र क्रमांक/सूचना/प–188/2021/476 दिनांक 22.10.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा व तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा को अंतरित किया जाकर पत्र की प्रति से आवेदक को सूचित किया गया जिसकी छाया प्रति पत्रावली के साथ संलग्न है । चूंकि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना से उपरोक्तानुसार आवेदक को अवगत करा दिये जाने के उपरान्त इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है । अतः अपील खारिज फरमाये जाने की व्यवस्था फरमावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के पत्र दिनांक 25.01.2021 का अवलोकन किया । जिस अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 से चाही गई सूचना मूल निवास प्रमाण पत्र से सम्बन्धित है । चूंकि सभी उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार लोक सूचना अधिकारी है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी को सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के यहां आवेदन प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करनी चाहिए थी फिर भी प्रार्थी का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा

जिला कलक्टर
कोटा

द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जा चुका है जिसकी सूचना प्रार्थी को भी दी गई है । प्रार्थी अपीलार्थी को वांछित सूचना सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी कोटा एवं तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त करनी चाहिए । सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार लाडपुरा से सूचना प्राप्त नहीं होने पर उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार लाडपुरा के अपीलीय अधिकारी अति0 जिला कलक्टर के यहां अपील कर सकते है ।

परिणामस्वरूप लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 6 (3) के तहत सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार लाडपुरा को अन्तरण कर दिये जाने से लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहां कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है । प्रार्थी अपीलार्थी वांछित सूचना सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी उखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार से सम्पर्क कर प्राप्त करें ।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2022 को लिखाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
अपील अधिकारी एवं
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा